

1553



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 483] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1976/कार्तिक 21, 1898

No. 483] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1976/KARTIKA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

GIFT-TAX

New Delhi, the 12th November 1976

S.O. 722(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Gift-tax Rules, 1958, namely:—

1. These rules may be called the Gift-tax (Second Amendment) Rules, 1976.
2. In the Gift-tax Rules, 1958, in rule 10, in sub-rule (4), for the words "determined by the Board", the words "determined in accordance with such guidelines or principles as may be laid down by the Board from time to time by general or special order" shall be substituted.

[No. 1553/F.No. 143(3)/76-TPI.]

S. N. SHENDE, Secy.
Central Board of Direct Taxes.

(2061)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

दान-कर

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1976

कां० श्रौ० 722(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दान-कर नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम दान-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।
2. दान-कर नियम, 1958 में, नियम 10 में, उपनियम (4) में, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा "शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"बोर्ड द्वारा साधारण या विशेष आदेश, द्वारा समय-समय पर, यथाअधिकथित मार्ग-निर्देशों या सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।"

[सं०/15/53/फा० सं० 143 (3)/76-टी० पी० एल०]

एस० एन० शेंडे,

सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टा रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निर्धनक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976